कार्यालय मुख्य अग्नि शमन अधिकारी देहरादून/टिहरी गढवाल

पत्रांक: न–20/असुव्य(T-283)/19–20 दिनांक: सितम्बर 28, 2019

सेवा में,

स्वामी/प्रबन्धक
होटल आर्यन (Hotel Aryan)
उत्तरकाशी रोड़, चम्बा
जनपद–टिहरी गढ़वाल।

सन्दर्भ:– अग्निशमन एवं आपात सेवा उत्तराखण्ड की वैबसाईट पर उपलब्ध कराये गये यूनिक नम्बर 98758164 दिनांक 23.09.2019 के सम्बन्ध में।

आपके **होटल** का निरीक्षण अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से प्रभारी/अग्नि शमन अधिकारी **नई टिहरी** द्वारा किया गया। निरीक्षण आख्या दिनांक **26–09–2019** में आपके **होटल** में स्थापित प्राथमिक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सन्तोषजनक इंगित करते हुये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण–पत्र प्रदान करने की संस्तुति की है।

अतः प्रभारी/अग्नि शमन अधिकारी **नई टिहरी** की निरीक्षण आख्या दिनांक **26–09–2019** के आधार पर आपके **होटल** हेतु दिनांक 28–09–2019 से 27–09–2020 तक के लिये प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाता है। साथ ही उक्त व्यवस्था के कार्यशील होने का प्रमाण–पत्र प्रति वर्ष लिया जाना अनिवार्य होगा। निर्देशित किया जाता है कि भवन के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर तदनुसार अलग से अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी। प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करेंगें एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव उच्च स्तर पर रखेंगें। यह प्रमाण पत्र अवैध निर्माण को वैध करने के लिए मान्य नहीं होगा। अग्निशमन व्यवस्था के सुदृढ न पाये जाने अथवा अकार्यशील दशा में पाये जाने पर यह प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

28.9.19

(एस० के० राणा)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
देहरादून/टिहरी गढ़०